भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 889
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों पर सीएजी की रिपोर्ट

889. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में यह नोट किया गया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों को एकल मोबाइल नंबर से जोड़ा गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में 4,761 पंजीकरणों की भी पहचान की गई है जो केवल सात आधार नंबरों से जुड़े थे और जो संभावित अनियमितताओं को दर्शाते हैं;
(घ) यदि हां, तो शुरू की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और
(ङ) दोषी अस्पतालों सहित दोषियों के विरुद्ध आज की तारीख तक की-गई-कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रश्नगत सीएजी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2018-21 से संबंधित है। सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या ने एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकरण कराया है। अगस्त 2022 से पहले, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) में, मोबाइल नंबर एक अनिवार्य क्षेत्र था और ऐसे मामलों में जहां व्यक्तियों के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं था, कार्ड बनाने के लिए अधिकृत ऑपरेटरों ने अपना मोबाइल नंबर या यादृच्छिक 10-अंकीय नंबर दर्ज करने का विकल्प चुना। हालांकि, मोबाइल नंबर पात्रता निर्धारित करने और आयुष्मान कार्ड बनाने का आधार नहीं है। किसी लाभार्थी के आधार ई-केवाईसी के बाद ही आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। ऐसे मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक में दिया गया है**।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस का एक नया संस्करण शुरू किया गया है जिसमें मोबाइल नंबर को वैकल्पिक बना दिया गया है और मोबाइल नंबर के आवश्यक अधिप्रमाणन की व्यवस्था कर दी गई है।

सात आधार संख्याओं से जुड़े 4,761 पंजीकरणों के संबंध में, यह रेखांकित किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2018-21 से संबंधित है, जिसके दौरान तमिलनाडु सरकार लाभार्थी पहचान के लिए अपनी राज्य प्रणाली का उपयोग कर रही थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस प्रणाली में उन मामलों को उजागर किया जहां आधार प्रमाणीकरण के बिना लाभार्थियों के लिए मैन्युअल रूप से आधार दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई लाभार्थी समान/गलत आधार संख्याओं से जुड़ गए।

तमिलनाडु राज्य लाभार्थी सत्यापन के लिए एनएचए की बीआईएस प्रणाली में अंतरित हो गया है। एनएचए का बीआईएस कई सत्यापन सुनिश्चित करता है जैसे कि डी-डुप्लीकेशन, आधार की सत्यता आदि और आधार ई-केवाईसी के बाद ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, एनएचए ने डुप्लीकेट आधार संख्या के लिए अपने सभी लाभार्थी डाटाबेस की जांच करने का कार्य किया और ऐसा कोई डुप्लीकेट आधार नहीं पाया गया है। इस प्रकार, लाभार्थियों के सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं है, चाहे वह एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई लाभार्थियों से संबंधित हो या एनएचए आईटी सिस्टम में एकल आधार संख्या के लिए कई पंजीकरण हों।

अनुलग्नक

एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थी पंजीकरण के मामलों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
असम	74
बिहार	34,057
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ़	5,576
गोवा	5
गुजरात	58,060
हरियाणा	13,555
हिमाचल प्रदेश	2,892
जम्मू और कश्मीर	32,900
झारखंड	98,622
केरल	1,48,581
मध्य प्रदेश	1,28,804
महाराष्ट्र	57,419
मेघालय	69,337
मिजोरम	58
नगालैंड	2
पुदुचेरी	2,735
पंजाब	30,001
दादरा और नगर हवेली व दमन और द्वीव	2,285
त्रिपुरा	2,687
उत्तर प्रदेश	75,240
उत्तराखंड	14,571

नोट: आंकड़े सीएजी ऑडिट (2018-21) के समय एनएचए की बीआईएस 1.0 प्रणाली पर काम करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के हैं।

****